(ख) इनमें से कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों का नाम हिन्दी में रखा गया और किन-किन कम्पनियों का नाम अंग्रेजी मे रखा गया; और

(ग) क्या नियमों में ऐसा प्रावधान है कि नये स्थापित किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के निगमों के नाम शुरू से ही हिन्दी में या अन्य क्षेत्रीय भाषा में रखे जायें और उनका प्रयोग अंग्रेजी में करते समय भी उनका अंग्रेजी रूपान्तर न किया जाये?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्:** (क) 1984-85 से 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) की अवधि के दौरान पंजीकृत सरकारी कम्पनियों के नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं। [**देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपत्र संख्या 117]

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत 13 सरकारी कम्पनियों के नाम हिन्दी में है जिन्हें अनुलग्नक में चिन्हित किया गया है जबकि 109 कम्पनियों के नाम अंग्रेजी में हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत नई स्थापित सरकारी कम्पनी को अपना नाम हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषा में रखना अपेक्षित हो।

**बोधघाट परियोजना के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम**

2102. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री पृथ्वी मांझी:**

क्या ऊर्जा मंत्री 8 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1422 के दिये गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बस्तर जिले की बोधघाट परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार को बिना लागत के पांच एकड़ कृषि योग्य विकसित भूखंड (प्लाट) और एक मकान देने के संबंध में बनाये गये पुनर्वास कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पुनर्वास हेतु उपलब्ध भूमि की पहचान करा ली गई है और क्या इस प्रयोजनार्थ आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन और मकान उन्हें विस्थापित करने से पहले उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

**ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)** : (क) से (ग) बोधघाट जल विद्युत परियोजना के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत विस्थापित होने वाले परिवारों को कृषि प्लाटों के रूप में आबंटित किए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में कृषि-योग्य भूमि का पता लगा लिया गया है। आवास-गृहों के निर्माण के लिए तीन गांवों में आबादी प्लाटों का निर्धारण किया गया है।

(घ) जी हां।

**Develoment of Tidal Power**

2103. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI.

SHRI BEKAL UTSAHI:

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Govem-ment have recently decided to enter the area of tidal power development in the country; and

(b) if so, what progress has been made in this regard so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) Detailed investigations and studies for assessing the feasibility of a tidal power project in the Gulf of Kutch en the west coast in Gujarat were started in 1982. The studies have been completed and a feasibility report has been prepared. As per the report, which is under techno-economic evaluation, an installation of 900 MW power plant, comprising 36 units of 25 MW each, is envisaged in Gulf of Kutch. The project will be processed further only after it is found to be techno-economically viable.